



संदर्भ. सं.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/064/03/2021

Ref. No: IRDAI/NL/CIR/MISC/064/03/2021

दिनांक/Date: 24.03.2021

परिपत्र
Circular

प्रति / To,

सभी साधारण बीमाकर्ता / All General Insurers,

विषय: (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियाँ जारी करना और (ख) भौतिक दस्तावेजों का इस्तेमाल और प्रस्ताव-प्रपत्रों पर स्याही से हस्ताक्षर करना बंद करना।

Sub: (a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with physical documents and wet signature on the proposal form.

यह उपरोक्त विषय के संबंध में आईआरडीएआई के परिपत्र संदर्भ: आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/237/09/2020 दिनांकित 10 सितंबर, 2020 के संदर्भ में है। इलेक्ट्रॉनिक पालिसियाँ जारी करने, साथ ही साथ भौतिक दस्तावेज का प्रयोग और स्याही से हस्ताक्षर करना बंद करने के लिए मंजूर की गयी छूट 30/09/2021 तक की अवधि के लिए बढ़ा दी गयी है।

This has reference to IRDAI circular Ref: IRDA/NL/CIR/MISC/237/09/2020 dated 10th September 2020 on the above subject. The exemptions granted for issuance of electronic policies as well as dispensing with physical document and wet signature have been extended upto the period 30/09/2021.

परिपत्र की अन्य सभी विषय-वस्तु अपरिवर्तित है।

All other contents of the circular remain unaltered.

हस्ता / Sd/-

(यज्ञप्रिया भरत / Yegnapriya Baharat)

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / CGM (Non-Life)